


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

मिसल नम्बर :-९३...../2024

दावा :- घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुरती
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट, 1955 व धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उनवानी

गुरुदयाल आदि बनाम राजस्थान सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.04.2024	<p>आज यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत वादीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री गिरधारीलाल सैनी ने पेश किया। कार्यालय टिप्पणी ली गई। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों पर एडमिट स्तर पर ही अधिवक्ता वादीगण को सुना गया। वाद में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। वादीगण के द्वारा राजकीय भूमि स्थित राजस्व ग्राम सुनारी खसरा नम्बर क्रमशः 594, 1158/593, 1159/592, 1225/644, 600, 865, 1166/941, 1167/941, 1307/450, 1306/942, 847 पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण शुदा भूमि के खातेदारी अधिकारों की बाबत घोषणा चाही गई है, जो राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियमों के तहत नियमन की श्रेणी में आता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप वादीगण का हस्तगत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत पोषणीय नहीं होने से एडमिट स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी</p>	

